

516/18

लेखक

डॉ. वि. कामधेनी

श्री श्री

समावेष्ट

कुं

ज्याजली लोड अदालत केम्य गोरपा मे
पेश दुर्दे। वादीगण एव प्रतिवादी नं. 1, 2,
3 अधिलिखित है। वादीगण ने प्रकण मे
विवादित आराजी मे से विभाजन की
शिलीक चाही है। वादी नं. 2 व 3
उरा भजमे काम मे अथन क्रिये कि
वादीगण द्वारा पूर्व मे अपने हिस्से की
भूमि का बंधान अन्य भूमि मे से
उठका जा चुका है तथा इस सम्बन्ध
मे हमारे द्वारा लखमप एउ श्याम्य भी
लिखा गया था, जिसमे बाद बंधान शेष
आराजी मे से अपना हिस्सा नहीं लेने

तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो किस हुकम की
तामील में जारी हुए

बालक सहायता स्वरूप ग्रामप में संकन
 ठिका है। मजमे काम मे उपपक्ष की
 समझाईश की गई, जिसमे वादीगण ने
 सहमति प्रकट की, कि वह विवादित
 धाराजी में अपना हिस्सा नहीं लेना
 चाहते है, हम अपना हिस्सा पूर्व
 में लंचान कर चुके है। तथा जो ग्रामप
 लिखा गया था वह सही एवं प्रमाणिक
 है। लिखित उपपक्ष की सहमति एवं
 लोड अदालत की भावना रखते हुए
 वाद वादीगण खारिज ठिका जाता है।
 निर्णय मजमे काम मे सरे इजलास
 सुनाया गया। 23 नुम्बर दिही जारी
 हो। पत्रावली कुंमल शुमार होकर
 प्रकट लेख मण्डार से


 (जे. स. भट्टनागर)


 5/6/19


 अध्यक्ष
 पंचायत समिति सुल्तानपुर
 जिला कोटा (राज.)
 (जिला कोटा (राज.))

अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत कम्प मोरपा

उनवान

1. गोबरीलाल पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी आदर्श विहार म0नं0 10, थेकडा रोड, बोरखेडा जिला कोटा
2. कल्याणी पुत्री धन्नालाल पत्नी जगन्नाथ जाति धाकड निवासी तारज तहसील खानपुर जिला झालावाड
3. शांतिबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी कजोड जाति धाकड निवासी सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड

— वादीगण

बनाम

1. लेखराज पुत्र स्व0 बजरंगलाल
2. रामावतार पुत्र गणपत लाल
3. मुकेश पुत्र गणपत लाल
4. सुनीता पुत्री गणपत लाल जाति धाकड निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा
5. कांति बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी मूलचन्द जाति धाकड निवासी बोथ तहसील मांगरोल जिला बांरा
6. नन्द कंवरी बाई पुत्री नाथूलाल पत्नी धन्नालाल जाति धाकड निवासी चोपड खेडली तहसील दीगोद जिला कोटा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर-127/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण खारिज किया जाता है।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बावत इजराय हुक्मनामा	0	0	बावत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,